रजिस्टर्ड

प्रेषक,

राजीव शर्मा, एच0जे0एस0,
जनपद न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद, उ0प्र0।

संख्या : 324 / लेखा 2020–21 दिनांक 26 फरवरी, 2021

विषयः पोशाक भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि शासनादेश संख्या 2123 / 274–2010–45 (12) / 91–टी0सी0–6, दिनांक 16 अक्टूबर 2010 के अन्तर्गत प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के दौरान पोशाक भत्ता के रूप में अंकन 6,000 / –(छः हजार रूपये) का भुगतान किये जाने के दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। मेरे द्वारा दिनांक 25.02.2009 से 24.02.2012 तक, दिनांक 25.02.2012 से 24.02.2015 तक व दिनांक 25.02.2015 से 24.02.2018 तक की अवधि के लिए कुल धनराशि अंकन रू0 18,000 / – पूर्व तैनाती के जिले बिजनौर में भुगतान प्राप्त किया था, जिसके प्रमाण पत्र की फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में मुझे दिनांक 25.02.2018 से दिनांक 24.02.2021 तक अंकन 6,000 / –(छः हजार रूपये) पोशाक भत्ता माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्वीकृत कराने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

26.2.21

(राजीव शर्मा)
जनपद न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।

संलग्नक–भुगतान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति

दिनांक–25.02.2021

27/2/21
(R.O.)

कार्यालय जनपद न्यायालय बिजनौर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश - प्रथम, जिला जजी **बिजनौर** को उनकी **बिजनौर** में तैनाती के दौरान अवधि 25.2.2009 से 24.02.2012 तक के लिए अंकन धनराशि 6000/- तथा 25.02.2012 से 24.02.2015 तक की अवधि के लिए अंकन धनराशि 6000/- एवं 25.02.2015 से 24.02.2018 तक की अवधि के लिए अंकन धनराशि 6000/- इस प्रकार कुल अंकन धनराशि रु0 18,000/- पोशाक भत्ते का भुगतान कर दिया गया है ।

दिनांक 21-07-2018

21-7-18

आहरण एवं वितरण अधिकारी /,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 5
जिला जजी, बिजनौर ।

Drawing & Disbursing Office
Distt. Judge's Court
BIJNOR